महेदवी बच्चौं की मज़्हबी तालीम के लिये
रिसाला

तालीमुल् इस्लाम महेदविया

(तीनौं हिस्से एकजा)

लेखक

हज़रत लिसानुल् क़ौम मसीहे मिल्लत मौलाना
मुहम्मद नेअ्मतुल्लाह खाँ सूफी रहे०
(हैदराबादी)

अनुवादक

श्री शेख़ चाँद साजिद

प्रकाशक

मुहम्मद महमूदुल हसन खाँ सूफी
इब्ने मुअल्लिफ़

पुस्तक का नाम : **तालीमुल इस्लाम महेदविया**
(तीनों हिस्से एकजा)

लेखक : लिसानुल क़ौम मसीहे मिल्लत हज़रत मौलाना मुहम्मद नेअमतुल्लाह खाँ सूफ़ी रहे०

हिन्दी रुपांत्रकर्ता : श्री शेख़ चाँद साजिद

प्रथम संस्करण : 2013

दूसरा संस्करण : 2016

Type Setting : **Rheel Graphics, Hyderabad.**
Tel. : 040 - 27661061, Cell : 09963977657

प्रकाशक : मुहम्मद महमूदुल हसन खाँ सूफ़ी
इब्ने हज़रत मौलाना मुहम्मद नेअमतुल्लाह
ख़ाँ सूफ़ी रहे०

मिलने का पता : लतीफ़ मंज़िल 16-4-113/A,
चंचलगुडा, हैदारबाद - 500 024 A.P.
Tel. : 040 - 24529112

हददया : ₹ **30/-**

© जुम्ला हुक़ूक़ महफ़ूज़ बहक़्के नाशिर

संक्षिप्त रूप

अले० : अलैहिस्सलाम
सल्ला० : सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
रहे० : रहमतुल्लाहि अलैहि

प्रस्तावना

आज से कोइ ७० साल पहले वालिदे मोहतरम लिसानुल् क़ौम मसीहे मिल्लत हज़तर मौलाना मुहम्मद नेअमतुल्ला खाँ सूफ़ी रहे० ने दीने महेदी की तब्लीग़ के लिये यह रिसाला उर्दू भाषा में लिखा था जिसके चार एडिशन शये हुवे और देखते ही देखते ख़त्म होगये। हिन्दी में भी यह दूसरा एडिशन है।

अक़ायद और उसूले मज़्हब की मालूमात की हमेशा ज़रुरत और अहमियत रही है। हमारी सारी मज़्हबी और क़ौमी किताबें अरबी फ़ारसी और उर्दू भाषा में हैं जब कि आज की नई नस्ल इन ज़बानों से बेगाना है और हिन्दी पढ़ रही है। इसलिये ज़रुरत महसूस की गयी कि इस रिसाले को हिन्दी लिपि में शाया किया जाये ताकि नई नस्ल मज़्हबी तालीमात से वाक़िफ़ होसके और गुमराही से बच सके।

हमारी ख़्वाहिश पर जनाब शेख़ चाँद साजिद साहब ने इस रिसाले को हिन्दी लिपि में लिख दिया है जिसके लिये हम उनके शुक्रगुज़ार हैं और जिन्हों ने इसकी इशाअत में तआवुन फ़र्माया है उनके भी शुक्रगुज़ार हैं और अल्लाह से दुआ है कि उन्हें अज्रे अज़ीम अता फ़र्माये और उनकी आल औलाद को अपनी हिफ़्ज़ो अमान में रखे और दीन व दुनिया में सुर्ख़रु रखे और दीन की तब्लीग़ में हमारी इस कोशिश को क़ुबूल फ़र्माए और हम सब को अमले सालेह की तौफ़ीक़ और हिदायत अता फ़र्माए। *आमीन*

१२ रबीउल अव्वल १४३८ हिज्री
१२ दिसम्बर २०१६ ईसवी

ख़ादिमे क़ौम
मुहम्मद महमूदुल हसन खाँ सूफ़ी
इब्ने
हज़रत मौलाना मुहम्मद नेअमतुल्लाह खाँ सूफ़ी रहे०

तालीमुल इसलाम महेदविया

(हिस्सा अव्वल)

न्हमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल महेदी इल मौऊद अलैहिस्सलातु वत् तस्लीम।

सवाल १: तुम कौन हो ?

जवाब: हम मुसलमान हैं।

सवाल २: तुम कौनसे मुसलमान हो ?

जवाब: हम महेदवी मुसलमान हैं।

सवाल ३: महेदवी किस को कहते हैं ?

जवाब: जो हज़रत इमाम महेदी अले० की तस्दीक़ करे और ईमान लाये उसको महेदवी कहते हैं।

सवाल ४: हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० की तस्दीक़ क्या है?

जवाब: हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० की तस्दीक़ यह है *उसद्दिक़ु अन्नल महेदीयल मौऊद क़द जाआ व मज़ा* (मैं तस्दीक़ करता हूँ कि बेशक इमाम महेदी मौऊद आये और गये)

सवाल ५: महेदवियौं के मज़्हब का क्या नाम है?

जवाब: इसलाम।

सवाल ६: महेदवियौं का अक़ीदा क्या है?

जवाब: अल्लाह एक है, बन्दगी के लायक़ वही है। हज़रत मुहम्मद

मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम ख़ुदाए तआला के बन्दे और रसूल है और ख़ातिमुल अम्बिया है, उनके बाद अब कोई नबी आने वाला नही है। क़ुरआन शरीफ़ ख़ुदाए तआला की आख़री किताब है उसके बाद ख़ुदाए तआला की तरफ़ से अब कोइ किताब आने वाली नहीं है। इसलाम सच्चा दीन है। हज़रत इमाम महेदी मौऊद आख़रुज़् ज़माँ अले० आये और गये।

सवाल ७: हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० कहाँ पैदा हुवे?

जवाबः मुल्क हिंदुस्तान में ''जोनपूर'' एक शहर है उसमें आप पैदा हुवे।

सवाल ८: आपका नाम क्या है और आपका लक़ब क्या है?

जवाबः आपका नाम (सय्यद) ''मुहम्मद'' है और आपका लक़ब ''महेदी मौऊद'' है। जैसा कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने ख़बर दी है कि '' इमाम महेदी अल्लाह का ख़लीफ़ा होगा और मेरे हमनाम होगा''।

सवाल ९: आपके वालिद और दादा का क्या नाम था?

जवाबः आपके वालिद का नाम ''सय्यद अब्दुल्लाह'' और आपके दादा का नाम ''सय्यद उस्मान'' था।

सवाल १०: आपकी वालिदा का क्या नाम था ?

जवाबः आपकी वालिदा का नाम ''बीबी आमिना'' था।

सवाल ११: क्या हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने आपके नाम के साथ आपके वालिद और वालिदा के नाम की भी ख़बर दी है ?

जवाबः हाँ । हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने ख़बर दी है कि ''इमाम महेदी का नाम मेरा नाम, और मेरे माँ बाप का नाम उसके माँ बाप का नाम होगा।

सवाल १२ः हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० कहाँ, किस सन् में और किस दिन पैदा हुवे ?

जवाबः हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० जोनपुर में पीर के दिन (सोमवार), १४ जमादीयुल अव्वल ८४७ हिज्री (९ सेपटेमबर १४४३ ईसवी) में पैदा हुवे।

सवाल १३ः हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० तमाम उम्र कहाँ रहे?

जवाबः हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० (४०) चालीस साल की उम्र तक शहर जोनपूर में रहे। उसके बाद ख़ुदा के हुक्म से हिज्रत फ़र्माइ और हिंदूस्तान के अकसर मुल्कौं का सफ़र करते हुवे ९०१ हिज्री में हज को रवाना हुवे। हज् से हिंदूस्तान वापस आकर सफ़रे हिज्रत फ़र्माते हुवे मुल्क अफ़ग़ानिस्तान के शहर फ़राह गये और वहीं तिर्सठ (६३) साल की उम्र में विसाल हुवा।

सवाल १४ः हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० का किस सन् में विसाल हुवा?

जवाबः हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० का १९ ज़ीक़ादा ९१० हिज्री (२३ एप्रेल १५०५ ईसवी) में तिर्सठ (६३) साल की उम्र में विसाल हुवा।

सवाल १५ः किस मक़ाम पर विसाल हुवा ?

जवाबः मुल्क अफ़ग़ानिस्तान में शहर फ़राह मक़ाम बाग़े रहमत में

विसाल हुवा और वहीं आपका गुम्बद मुबारक है।

सवाल १६: हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० ने ''इमाम महेदी'' होने का दाअवा किस उम्र में फ़र्माया?

जवाबः जब आपकी उम्र ५४ साल की हुवी उसके बाद आप ने ख़ुदा के हुक्म से अपने ''इमाम महेदी मौऊद'' होने का दाअवा फ़र्माया।

सवाल १७: पहली मर्तबा आप ने किस मक़ाम पर दाअवए महेदियत फ़र्माया?

जवाबः ९०१ हिज्री में पहली मर्तबा मक्का मोअज़्ज़मा ख़ानए काअबा में रुक्न और मक़ाम पर खड़े होकर तमाम दुनिया के मुसलमानौं के सामने आप ने ख़ुदा के हुक्म से अपने ''इमाम महेदी'' होने का दाअवा फ़र्माया और फ़र्माया *मनित् तबअनी फ़हुव मोमिन* (जिसने मेरी इताअत की पस वह मोमिन है)।

सवाल १८: आपकी इताअत करने का क्या मतलब है?

जवाबः आप पर सच्चे दिल से ईमान लाना कि आप ही की ज़ात इमाम महेदी मौऊद आख़रुज़् ज़माँ है और आपके अहकाम की सच्चे दिल से पैरवी करना।

सवाल १९: आप क्या हुक्म करते थे ?

जवाबः आप अल्लाह तआला की किताब क़ुरआन मजीद और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की इताअत और पैरवी का हुक्म करते थे।

सवाल २०: हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० के कुछ हालात और अख़लाक़ बयान करो?

जवाबः १) आप जब पैदा हुवे तो आप के दोनों हाथ बरहनगी को ढांके हुवे थे।

२) आप ख़त्ना किये हुवे पैदा हुवे।

३) आप के जिसमे मुबारक पर मक्खी नहीं बैठती थी।

४) आप के जिसमे मुबारक का साया नहीं था।

५) आप की पैदाइश के वक़्त शहर जोनपूर के तमाम बुत (औंधे मुंह) गिर गये थे।

६) आप जब पैदा हुए ग़ैब से यह आवाज़ सुनाइ दी कि ''हक़ आया और बातिल मिट गया बेशक बातिल मिटने ही के लिये था''।

७) उस ग़ैब की आवाज़ को हज़रत शेख़ दानियाल रहमतुल्लाहि अलैहि ने जो उस वक़्त शहर जोनपूर में बुहत बड़े बुज़र्ग मुहद्दिस और वलीए कामिल थे सुना था।

८) आप बुहत सच्चे और वाअदे के पक्के थे।

९) आप ग़रीबों के ग़मख़ार और नादारों के मददगार थे।

१०) आप सख़ी, जवाँमर्द और हयादार थे।

११) आप निहायत इबादत गुज़ार, परहेज़गार और अमानतदार थे।

१२) आप के अख़लाक़ तमाम नबी सल्ला० के अख़लाक़ के जैसे थे।

१३) आप के सिफ़ात तमाम नबी सल्ला० के सिफ़ात की तरह थे।

जैसा कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने ख़बर दी है कि ''इमाम महेदी मेरी औलाद से होगा, मेरे नक़शे क़दम पर चलेगा और कभी ख़ता नहीं करेगा''। और ख़बर दी है कि ''इमाम महेदी के अख़लाक़ मेरे अख़लाक़ होंगे'' (तिर्मिज़ी शरीफ़)।

१४) आप बचपन ही से रसूलुल्लाह सल्ला० की शरीअत के ताबे थे।

१५) आप की हर बात और हर काम से रसूलुल्लाह सल्ला० की इत्तेबाअ ज़ाहिर होती थी।

१६) आप की उम्र अभी सात बरस की भी न हुइ थी कि आप हाफ़िज़े क़ुरआन होगये।

१७) आप बारह बरस की उम्र में एक ज़बर्दस्त आलिम होगये।

१८) उस वक़्त के तमाम आलिमौं ने आपको ''असदुल उलमा'' का ख़िताब दिया।

१९) आप अल्लाह तआला की इबादत में ग़र्क़ रहते थे इस दुनिया की आपको ख़बर नहीं रहती थी। नमाज़ के वक़्त आप को इस आलम (जगत) की ख़बर होती थी और वुज़ू करके नमाज़ अदा करने के बाद आप मस्त और मुस्तग़रक़ हो जाते थे। जंगे गौड़ के बाद बारह बरस तक आपकी यही हालत रही उस ज़माने में आपकी ग़िज़ा बुहत ही कम थी।

२०) जब आपकी उम्र शरीफ़ चौपन (५४) बरस की हुई उसके बाद आपने अल्लाह तआला के हुक्म से अपने ''महेदी मैऊद'' होने का दाअवा फ़र्माया। जब आप ने अपने ''इमाम महेदी मौऊद'' होने को एलान फ़र्माया उस वक्त आप साहबे अक़्ल व शऊर थे।

२१) आपने अपनी दावते महेदियत के ख़ुतूत (पत्र) उस वक़्त के तमाम बादशाहौं के नाम लिख कर रवाना किये, जिस तरह रसूलुल्लाह सल्ला० ने अपनी दावते नबूवत के ख़त उस वक़्त के तमाम बादशाहैं के नाम लिखकर रवाना फ़र्माये थे।

सवाल २१: क्या हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० की तस्दीक़ करना फ़र्ज़ है?

जवाब: इमाम महेदी मौऊद अले० अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा हैं इस लिये आप की तस्दीक़ और पैरवी (अनुकरण) फ़र्ज़ है। जैसाकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने हुक्म दिया है कि इमाम महेदी अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा हैं, इमाम महेदी की इत्तेबाअ करो और आपके हाथ पर बैअत करो।

सवाल २२: ईमाने मुकम्मल किसको कहते हैं?

जवाब: कलिमए शहादत *अशहदु अन् लाइलाह इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु वश्हदु अन्न मुहम्मदन् अब्दुहु व रसूलुहु* कहकर अल्लाह तआला की तौहीद और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की रिसालत की गवाही देना और कलिमए तस्दीक़ *उसद्दिक़ु अन्नल महेदीयल् मौऊद क़द*

जाआ व मज़ा कहकर इमाम महेदी मौऊद अले० की तस्दीक़ करना ईमाने मुकम्मल है।

सवाल २३: हज़रत महेदी मौऊद अले० ने कितने अहकाम को फ़र्ज़ फ़र्माया है और वह कौन से हैं?

जवाब: हज़रत महेदी मौऊद अले० ने क़ुरआन मजीद के हुक्म से आठ बातौं को फ़र्ज़ फ़र्माया है वह यह हैं। (१) तर्के दुनिया (२) ज़िक्रे ख़ुदा (३) तवक्कुल (४) हिज्रत (५) तलबे दीदारे ख़ुदा (६) सुहबते सादिक़ीन (७) उज़्लत (८) उश्र (यह अहाकामे तरीक़त हैं)। यह अहकाम फ़रायज़े शरीअत के अलावा हैं।

सवाल २४: क्या हज़रत महेदी मौऊद अले० ने पाँच नमाज़ौं के अलावा कोई नमाज़ भी फ़र्ज़ बताइ है?

जवाब: हाँ रोज़ाना की पाँच नमाज़ौं के अलावा रमज़ान शरीफ़ की सत्ताइसवीं रात (शबे क़द्र) में दो रकातें अल्लाह तआला के हुक्म से फ़र्ज़ बताइ हैं जिसको दुगाना शबे क़द्र कहते हैं।

सवाल २५: नमाज़ के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना जायज़ है या नहीं?

जवाब: सहीह हदीसौं से साबित है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्ज़ नमाज़ के बाद कभी हाथ उठाकर दुआ नहीं मांगी इसलिये हमको भी चाहिये कि नमाज़ के बाद हाथ उठाकर दुआ न मांगें बल्कि सज्दे में आजिज़ी से आहिस्ता दुआ मांगना चाहिये।

सवाल २६: हज़रत महेदी मौऊद अले० के कितने सहाबा हैं और उनके क्या नाम हैं?

जवाबः हज़रत महेदी मौऊद अले० के हज़ारों सहाबा हैं मगर उनमें पाँच सहाबा अफ़ज़ल (सर्वश्रेष्ठ) हैं। उनके नाम यह हैं:

१) हज़रत बन्दगी मियाँ सय्यद महमूद सानीये महेदी रज़ी०

२) हज़रत बन्दगी मियाँ सय्यद ख़ुंदमीर सिद्दीक़े विलायत रज़ी०

३) हज़रत बन्दगी मियाँ शाह नेअमत रज़ी०

४) हज़रत बन्दगी मियाँ शाह निज़ाम रज़ी०

५) हज़रत बन्दगी मियाँ शाह दिलावर रज़ी०

हिस्सा दुव्वम

सवाल १: वली किसको कहते हैं?

जवाब: वली उसको कहते हैं जिसको अल्लाह तआला से नज़्दीकी हो।

सवाल २: वली कितने क़िसम के होते हैं?

जवाब: वली दो क़िसम के होते हैं, एक वलीए कामिल दूसरा वलीए नाक़िस।

सवाल ३: वलीए कामिल और वलीए नाक़िस में क्या फ़र्क़ होता है?

जवाब: वलीए कामिल वह है जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की पैरवी में कामिल हो वलीए नाक़िस वह है जो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की पैरवी में कामिल नहो।

सवाल ४: हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की कामिल पैरवी का क्या मत्लब है?

जवाब: हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० के क़ौल (कथन), फ़ेल (कर्म) और हाल (दशा) की पूरी पैरवी (अनुकरण) करे। हाल की पैरवी का यह मत्लब है कि जो हालत हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की थी वही हालत अपने में पैदा करे।

सवाल ५: क्या हर इन्सान इबादत और मेहनत से वली होसकता है?

जवाब: इबादत और ख़ुदा की राह (मार्ग) में मेहनत करने से आम विलायत की उम्मीद की जासकती है मगर ख़ास विलायत हासिल नहीं होसकती।

सवाल ६: ख़ास विलायत किस तरह हासिल होती है?

जवाबः ख़ास विलायत, इबादत और ख़ुदा की राह में मेहनत करने से भी हासिल नहीं होती बल्कि यह ख़ास विलायत उसी शख़्स को हासिल होती है जिसको अल्लाह तआला अपने फ़ज़्लो करम से अता करता है। ख़ास विलायत की हालत वैसी ही है जैसी कि नबूवत की हालत है। जिस तरह हर शख़्स को इबादत और मेहनत करने से नबूवत हासिल नहीं होती उसी तरह हर शख़्स को इबादत और मेहनत करने से ख़ास विलायत भी हासिल नहीं हो सकती। ऐसा वलीए कामिल जिसको ख़ास विलायत दी जाती है हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० का ताबेअ ताम (पूर्ण अनुकरण कर्ता) होता है।

सवाल ७: ताबेअ ताम किसको कहते हैं?

जवाबः ताबेअ ताम उसको कहते हैं जिसका अमल वैसा ही हो जैसा कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० का था, जिसका हाल वैसा ही हो जैसा कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० का हाल था और जिसकी दाअवत वैसी ही हो जैसी कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की दाअवत थी।

सवाल ८: क्या हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० ने ऐसे शख़्स के पैदा होने की ख़बर दी है जो अपने जैसा साहबे दाअवत हो?

जवाबः हाँ हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने ऐसे शख़्स के पैदा होने की ख़बर दी है।

हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि ''मेरे बाद मेरी उम्मत की हिदायत के लिये एक शख़्स पैदा होगा, वह अल्लाह का ख़लीफ़ा होगा, उसका नाम मेरा नाम होगा, उसकी माँ का नाम मेरी माँ का नाम होगा, उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा और उसका लक़ब महेदी है, तुम लोगौं पर फ़र्ज़ है कि उसके हाथ पर बैअत करो''। यह हदीस सुन्न् इब्ने माजा में हज़रत सोबान रज़ी० सहाबी के हवाले से बयान की गइ है। इसके अलावा हाकिम, अबू नुएम और दूसरे उलमाए हदीस ने भी इस हदीस को बयान किया है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की इस हदीस से साबित है कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अलैहिस्सलाम की तसदीक़ और बैअत फ़र्ज़ है।

सवाल ९: क्या इसके अलावा हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने और भी कुछ ख़बर दी है?

जवाब: हाँ। हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० ने हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० के बारे में और भी ख़बर दी है जैसा कि:

१) हदीस की मशहूर किताब सुनन् अबू दाऊद में है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि महेदी के अख़लाक़ मेरे अख़लाक़ जैसे होंगे।

२) हदीस की मुस्तनद (प्रमाणित) किताब *मिश्कात शरीफ़* और हदीस की सहीह किताब *मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल* दोनों किताबौं में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी० के हवाले से और किताब *कंज़ुल उम्माल*

में हज़रत अली रज़ी० के हवाले से यह हदीस बयान की गई है कि हज़रत रसूल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि ''मेरी उम्मत क्यों कर हलाक होगी जबकि मैं उसके अव्वल हिस्से में हूँ और ईसा इब्ने मर्यम अले० उसके आख़र हिस्से में हैं और महेदी मेरी अहले बैत से उसके दरमियानी हिस्से में हैं''।

हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की इस हदीस से तीन बातें साबित होती हैं।

एक यह कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० की ज़ात उम्मते मुहम्मद सल्ला० को हलाकत से बचाने वाली है।
दूसरी यह बात कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की अहले बैत से हैं।

तीसरी बात यह कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० के पैदा होने का ज़माना भी साबित होता है कि आप उम्मत के दरमियानी हिस्से में पैदा होंगे।

सवाल १०: क्या हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० ने यह ख़बर भी दी है कि ऐसा शख़्स माअसूम (प्राकृतिक निष्पाप) होगा?

जवाबः हाँ। हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने ख़बर दी है कि -

१) वह शख़्स जिसका लक़ब ''महेदी'' है मेरी औलाद से होगा।

२) मेरे नक़शे क़दम पर चलेगा और कभी ख़ता नहीं करेगा।

३) वह अल्लाह का ख़लीफ़ा होगा।

इस हदीस को कई उलमाए हदीस ने कई मुक़ामात पर मुख़्तलिफ़ हैसियतौं से बयान किया है। हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की इस हदीस शरीफ़ से भी तीन बातें साबित होती हैं -

१) हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की औलाद से होंगे।

२) हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० माअसूम होंगे (कभी ख़ता नहीं करेंगे।

३) हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा होंगे।

सवाल ११: ख़लीफ़तुल्लाह में क्या सिफ़ात (गुण) होनी चहिये?

जवाब: ख़लीफ़तुल्लाह में सब से बड़ी इन दो सिफ़ात का होना ज़रुरी है-

१) वह ख़ता से माअसूम हो।

२) उसमें वह तमाम सिफ़ात हों जो हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० में थी। जो शख़्स ख़ता से माअसूम नहोगा वह अल्लाह तआला का ख़लीफ़ा नहीं होसकता।

सवाल १२: ख़लीफ़तुल्लाह में और क्या सिफ़ात होना चाहिये।

जवाब: उसमें अम्बिया अले० के तमाम सिफ़ात होना चाहिये। उसकी तालीम अल्लाह तआला की ज़ात से होनी चाहिये जिस तरह तमाम पैग़म्बरौं और अल्लाह तआला के ख़लीफ़ौं को हुआ करती है। वह गुनाहौं से माअसूम होना चाहिये। इन सिफ़ात वाली शख़्सियत को ख़लीफ़ तुल्लाह कहते हैं।

सवाल १३: क्या हज़रत सय्यद मुहम्मद इमाम महेदी मौऊद अले० में अहादीसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० में जो बातें बयान की गइ हैं वह सब मौजूद थीं?

जवाबः हाँ हज़रत सय्यद मुहम्मद इमाम महेदी अले० में वह सब बातें मौजूद थीं जो अहादीसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० में बयान की गइ हैं।

सवाल १४: अहादीसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० में जो अलामात महेदी अले० की बयान की गइ हैं उनका ख़ुलासा मुताबक़त के साथ बयान करो?

जवाबः **अलामत (१)** महेदी अले० फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० की औलाद से होंगे (इक़दुद दुरर, अल बुरहान और उलमाये हदीस व उसूल की मुत्तफ़क़ा कुतुब)। चुनांचे आप फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० के फ़र्ज़न्द हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से हैं।

अलामत (२) महेदी अले० हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के हमनाम होंगे। चुनांचे आप का नाम ''मुहम्मद'' है।

अलामत (३) महेदी अले० के माँ और बाप हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के माँ बाप के हमनाम होंगे। चुनांचे आपके वालिद का नाम ''सय्यद अब्दुल्लाह'' और वालिदा का नाम ''बीबी आमिना'' था।

यह अलामात सुनन् अबू दाऊद, तब्रानी, सुनन् इब्ने अबी शैबा में हज़रत इब्ने मसऊद रज़ी० के हवाले से लिखी हुवी हैं।

अलामत (४) महेदी अले० काअब तुल्लाह में रुक्न और मक़ाम के दरमियान लोगौं से बैअत लेंगे। चुनांचे आप जब हज को तश्रीफ़ लेगये तो रुक्न और मक़ाम के दरमियान खड़े होकर तमाम दुनिया के मुसलमानौं के सामने आप ने ख़ुदा के हुक्म से दाअवते महेदियत की जिसको लोगौं ने क़ुबूल किया और आप से बैअत की।

इस हदीस को नईम बिन हम्माद ने हज़रत क़तादा रज़ी० के हवाले से बयान किया है।

अलामत (५) महेदी अले० हज़रत ईसा अले० से पहले आयेंगे (मिश्कात शरीफ़)। चुनांचे ईसा अले० के नुज़ूल से पहले आपका ज़ुहूर हुवा, तमाम उम्मते मुहम्मदिया पर आपने अपना दाअवए महेदियत का अलानिया इज़्हार फ़र्माया और उस ज़माने के तमाम सलातीन और बादशाहौं के नाम दाअवत नामे जारी फ़र्माये कि अगर मैं दाअवए महेदियत में सच्चा साबित नहो सकूं तो तुम पर मेरा क़त्ल वाजिब है। पस तुमको और उलमा को चाहिये कि मेरी तहक़ीक़ करें और यह भी फ़र्माया कि मेरी महेदियत की सच्ची दलील यही है कि मैं अल्लाह तआला की किताब और हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० का पूरा पूरा ताबेअ हूँ।

मैं ने नबूवत का दाअवा नहीं किया है और कोई जदीद (नई) शरीअत नहीं लाया हूँ और अहकामे विलायते मुहम्मद सल्ला० का जो इल्मुल एहसान के अहकाम हैं मुस्तक़िल दाई (स्थायी निमंत्रण दाता) हूँ।

अलामत (६) महेदी अले० क़िस्तो अदल से ज़मीन को भर देंगे। चुनांचे जिन लोगौं को हक़ की तलब थी उन्होंने आपकी तस्दीक़ की और ईमान लाये, पस यही माने *यमलउल् अर्ज़ क़िस्तन् व अदलन्* के हैं, वर्ना इस हदीस का यह मत्लब नहीं है कि सारी दुनिया में अदलो इन्साफ़ फैल जायेगा और दुनिया के तमाम इन्सान ईमान लायेंगे, क्योंकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के ज़माने से अब तक सारे अफ़रादे इन्सानी ईमान नहीं लाये और न आयन्दा लायेंगे। चुनांचे हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने जब यह कोशिश की कि अबू तालिब ईमान लायें तो उन्हों ने क़ुबूल नहीं किया तो आँहज़रत सल्ला० को सख़्त रंज हुवा। अल्लाह जल्ल शानहु ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की तस्कीन की ख़ातिर यह आयत नाज़िल फ़र्माइ *''ऐ मुहम्मद सल्ला०। तुम जिस से मुहब्बत रखते हो उसको राह पर लाना तुम्हारा काम नहीं है, बल्कि यह हमारा काम है, पस हम जिसको हिदायत देना चाहते हैं हिदायत देते हैं''* (२८:५६)।

ग़र्ज़ अम्बिया अले० और हज़रत महेदी मौऊद अले० का यह मनसब है कि ''खुदा की राह बतादें'' और यह मनसब नहीं है कि लोगौं को हिदायत पर लायें, क्योंकि यह काम अल्लाह तआला का है जैसा कि इर्शाद फ़र्माता है *''जिसको चाहता है गुमराह करता है और जिसको चाहता है हिदायत करता है''* (३५:८)। ग़र्ज़ जो लोग हदीस ''महेदी ज़मीन को क़िस्तो अदल से भरदेंगे'' के नज़र करते यह कहते हैं कि इमाम महेदी अले० के ज़माने में सब ज़मीन पर अदलो

इन्साफ़ फैल जायेगा और सब लोग मोमिन होजायेंगे क़ुरआन हकीम के मन्शा (उद्देश्य) के ख़िलाफ़ है।

ख़ुलासा यह कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० ने हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की तरह बसीरत और हिदायत की तरफ़ लोगौं को बुलाया और दाअवत दी। अपने मोजिज़ात से भी अपनी दाअवत का सुबूत दिया। वही लोग तस्दीक़े महेदियत से मुशर्रफ़ हुवे और ईमान लाये जिनकी शान में अल्लाह तआला फ़र्माता है *''मुत्तक़ी और ग़ैब पर ईमान लाने वाले लोगौं के लिये हिदायत है''* (२:२)। और जो इस सिफ़त से मौसूफ़ नहीं थे वह अलामतौं की बहसौं में उलझ गये। हक़ तो यही है कि अलामात दरअसल ख़ुफ़िया इशारात (गुप्त संकेत) हैं, उनके हक़ीक़ी माने हरगिज़ मुराद नहीं हैं। इसी ग़लती की वजह से यहूद ने हज़रत ईसा अले० का और नसारा और यहूद ने हज़रत मुहम्मद सल्ला० का इन्कार किया।

सवाल १५: हज़रत इमामुना सय्यद मुहम्मद महेदी मौऊद अले० की तस्दीक़ का मेयार (कसौटी) क्या है?

जवाब: हज़रत इमामुना सय्यद मुहम्मद महेदी मौऊद अले० की तस्दीक़ का मेयार वही है जो अम्बिया अले० और हज़रत नबीए मुकर्रम सल्ला० की तस्दीक़ का मेयार है यानि यह कि नबूवत से पहले-

१) उमूरे दुनिया में हो या उमूरे दीनी में कभी झूट न कहा हो बल्कि सच्चा हो।

२) बुरे कामौं से दूर हो बल्कि उसका ईरादा तक न किया हो।

३) साबिर और शाकिर हो यानि मुसीबतौं और आफ़तौं से उसके नफ़्स में परेशानी और हैरानी न आये।

४) वाअदे का सच्चा हो।

५) अमानतदार हो।

६) तकलीफ़ौं और मुसीबतौं में लोगौं की मदद करे।

७) बहादुर शजीअ (वीर) हो।

८) आदिल हो यानि उसमें इन्साफ़ की सिफ़त हो।

९) सख़ी (दानवीर) हो।

१०) अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करदेने वाला हो।

११) अक़्ल और शुऊर वाला हो।

नबूवत के इज़्हार के बाद उसमें दो चीज़ौं का होना लाज़मी है। एक यह कि अपनी नबूवत का दाअवा करे, दूसरी यह कि मुन्किरीन की तलब पर उस से मोजिज़ा ज़ाहिर हो। पस यह सिफ़ात जिसमें होंगी वह नबी और अल्लाह तआला का ख़लीफ़ा होगा।

यही सिफ़ात नबूवत और महेदियत की तस्दीक़ के असली मेयार हैं। चुनांचे हज़रत इमामुना सय्यद मुहम्मद महेदी अले० के हालात और कैफ़ियात से साबित है कि नबूवत के सुबूत में ऊपर बयान किये गये जिन सिफ़ात की ज़रूरत है वह तमाम सिफ़ात, हालात और कैफ़ियात हज़रत इमामुना

अले० में मौजूद थीं। आप ने महेदियत का दाअवा भी फ़र्माया और आप से मोजिज़ात भी ज़ाहिर हुवे। चुनांचे तमाम मुअर्रिख़ीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं। शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी लिखते हैं कि ''(हज़रत) सय्यद मुहम्मद जोनपूरी के एतक़ाद से है कि हर वह कमाल कि जो (हज़रत) रसूलुल्लाह सल्ला० रखते थे वही कमाल सय्यद मुहम्मद महेदी में भी था। फ़र्क़ यही है कि वहाँ ज़ात से था और यहाँ इत्तिबाअ में और (हज़रत) रसूलुल्लाह सल्ला० की इत्तिबाअ में इस हद तक पहुंच गये थे कि उनके मानिंद होगये थे''।

सवाल १६: क्या हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया है ''इमाम महेदी ख़ातिमे दीन हैं'' ?

जवाब: हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने महेदी मौऊद अले० के बारे में फ़र्माया है कि ''महेदी हम से है अल्लाह तआला उस पर दीन को ख़त्म करेगा। जिस तरह उसको हम से शुरू किया है''।

इस हदीस शरीफ़ को अबू नुएम, नईम बिन हम्माद और अबुल क़ासिम तब्री मुहद्दिसीन ने हज़रत अली रज़ी० की रिवायत से बयान किया है।

सवाल १७: क़ुरआन मजीद की आयत *अलयौम अकमल्तु लकुम दीनकुम व अत्मम्तु अलैकुम नेअमती* से यह साबित होता है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के ज़माने में दीन मुकम्मल होचुका तो फिर दुबारा तकमीले दीन या इख़्तितामे दीन के क्या माने?

जवाबः *अकमल्तु लकुम दीनकुम* (मैंने तुम्हारे लिये तुम्हारे दीन को पूर्ण कर दिया) का यह मत्लब है कि दीन से मुतअल्लक़ जितनी ज़रुरी चीज़ें हैं क़ुरआन मजीद ने उनको मुकम्मल कर दिया। इस तरह से क़ुरआन मजीद नाज़िल होजाने के बाद अब अल्लाह तआला के किसी हुक्म के नाज़िल होने की ज़रुरत नहीं रही। पस दीने इस्लाम नुज़ूल के एतबार से मुकम्मल होचुका मगर अहकामे एहसान के बयान और दाअवते एहसान के एतबार से दीन की तकमील या इख़्तितामे दीन हज़रत महेदी मौऊद अले० की दाअवत के बाद होगा। युनांचे ऐसा ही हुआ। तकमीले दीन नुज़ूले क़ुरआन के एतबार से है और इख़्तितामे दीन दाअवते एहसान के एतबर से है।

सवाल १८: जब हज़रत इमाम महेदी अले० ''ख़ातिमे दीन'' हैं तो किन अहकाम का बयान और तालीम फ़र्मायेंगे?

जवाबः क़ुरआन मजीद में बहुत सारी चीज़ौं का बयान है मगर अहकामे क़ुरआन चार हैं।

१) अक़ायद

२) इबादत यानि अल्लाह और बन्दे के तअल्लुक़ात

३) मुआमलात यानि बन्दौं के बन्दौं से तअल्लुक़ात

४) एहसान।

अक़ायद, इबादात और मुआमलात के अहकाम की तालीम हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने पूरी फ़र्मादी मगर एहसान के अहकाम की दाअवत नहीं फ़र्माइ। पस दीन का एक हिस्सा जो एहसान है उसके अहकाम को हज़रत इमाम

महेदी मौऊद अले० ने बयान फ़र्माया और दाअवत फ़र्माइ।

सवाल १९: अक़ायद की तफ़सील मुख़्तसर तौर पर बयान करो?

जवाबः १) अल्लाह को एक जान्ना और उसकी ज़ात और सिफ़ात में मख़लूक़ को शरीक न करना इसको तौहीद कहते हैं।

२) अल्लाह तआला की सिफ़ात के बारे में अक़ीदा रखना कि वह अलीम है यानि वह जान्ने वाला है, वह क़ादिर है यानि क़ुदरत वाला है, वह हइ है यानि ज़िन्दा है, वह समीअ है यानि सुन्ता है, वह बसीर है यानि देखता है, वह कलीम है यानि बात करता है, वह इरादे वाला है, सब चीज़ौं का ख़ालिक़ है यानि पैदा करने वाला है।

३) फ़रिश्तौं के बारे में अक़ीदा रखना कि फ़रिश्ते भी अल्लाह तआला की मख़लूक़ हैं, अल्लाह तआला ने उनको नूर से पैदा किया है वह बेगिन्ती हैं। उनमें सब से बुज़ुर्ग चार फ़रिश्ते हैं (१) हज़रत जिब्रईल अले० (२) हज़रत मीकाईल अले० (३) हज़रत इज़र्राल अले० (४) हज़रत इसराफ़ील अले०।

४) अल्लाह तआला की चारों किताबौं तौरात, ज़बूर, इन्जील और क़ुरआन मजीद को बरहक़ जान्ना और उसके अलावा जिस क़दर सहीफ़े हैं उन सब को बरहक़ जान्ना और इस बात पर यक़ीन रखना कि अल्लाह तआला की तमाम किताबौं और सहीफ़ौं में आख़री और मुकम्मल किताब क़ुरआन मजीद है।

५) अल्लाह तआला के तमाम पैग़म्बरौं को बरहक़ जान्ना और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० को ख़ातिमुल अम्बिया और तमाम पैग़म्बरौं के सरदार और अफ़ज़ल हैं ईमान रखना।

६) क़ियामत के दिन को बरहक़ (सत्य) जान्ना।

७) तक़दीर और ख़ैर व शर अल्लाह ही की जानिब से है बरहक़ जान्ना। ख़ैर से अल्लाह तआला राज़ी हैं और शर से राज़ी नहीं हैं।

८) मरने के बाद उठाये जाने और हिसाब लिये जाने को बरहक़ जान्ना।

९) हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा हैं, ख़ातिमे विलायते मुहम्मदिया, दाई इलल्लाह हैं, आये और गये पर यक़ीन और ईमान रखना। इन चीज़ौं को अक़ायद कहते हैं।

सवाल २०: इबादात किसको कहते हैं?

जवाबः नमाज़, रोज़ा, हज्, ज़कात, जहाद वग़ैरह को इबादात कहते हैं

सवाल २१: मुआमलात किस को कहते हैं?

जवाबः बेचना, ख़रीद करना, इक़रार करना, गवाही देना, मुलाज़मत करना, एक क़ौम का दूसरी क़ौम से तअल्लुक़, एक हुकूमत का दूसरी हुकूमत से तअल्लुक़, हुकूमत और हुकूमत का तमाम नज़्मोनस्क़ (प्रबंध) वग़ैरह को मुआमलात कहते हैं।

इन तमाम चीज़ौं की तालीम हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्मादी।

सवाल २२: एहसान किसको कहते हैं?

जवाब: एहसान उसको कहते हैं कि ''अल्लाह तआला की ऐसी इबादत करो कि तुम अल्लाह तआला को देख रहे हो, और अगर यह न होसके तो इस तसव्वुर से इबादत करो कि अल्लाह तआला तुमको देख रहा है''। (सहीहैन, फ़िक़्ह अकबर इमाम आज़म, अबू मुतीअ बलख़ी - इब्ने उमर रज़ी० ने रिवायत की)।

सवाल २३: क़ुरआन मजीद की तालीमात कितनी क़िसम की हैं?

जवाब: क़ुरआन मजीद की तालीमात तीन क़िसम की हैं। एक इलमुल इस्लाम, दुसरी इल्मुल ईमान, तीसरी इल्मुल एहसान।

सवाल २४: क्या हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० ने तीनों क़िसम की तालीमात नहीं फ़र्मायीं?

जवाब: हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० ने इल्मुल इस्लाम और इल्मुल ईमान की तालीम पूरी तौर से फ़र्माइ चुनांचे हज़ारों हदीसें और सैंकड़ों किताबें इनही दोनों चीज़ौं के मज़ामीन पर हैं और इनही दोनों चीज़ौं की तालीम देती हैं। अब रहा इल्मुल एहसान जो क़ुरआन मजीद की तालीमात की तीसरी क़िसम है उसकी तफ़सीली तालीम किसी हदीस में हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने नहीं फ़र्माइ। इल्मुल एहसान के सिलसिले में आयाते क़ुरआनी और अहादीसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० पर ग़ौर करने से यह बात साबित होती है कि एहसान से सिर्फ़ दीदारे ख़ुदा मुराद है,

जैसा कि हदीस शरीफ़ के अलफ़ाज़ *अन् ताअमलल्लाह कअन्नक तराहु* या *अन् ताअबुदुल्लाह कअन्नक तराहु* दीदारे ख़ुदा ही को साबित करते हैं और उसकी तहक़ीक़ किसी हदीस में नहीं बल्कि यूँ कहना चाहिये कि एहसान का बयान अधूरा छोड़ दिया गया।

सवाल २५: क़ुरआन मजीद की आयत *''रसूल पर (जो कुछ सन्देश उतरे उम्मत को) पहुंचा देने के सिवा और कोई ज़िम्मेदारी नहीं''* (५:९९)। ऐसी सूरत में यह किस तरह यक़ीन किया जासकता है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने अहकामे एहसान को नहीं पहुंचाया?

जवाबः तब्लीग़ के दो क़िसम हैं। एक दाअवत के तौर पर तब्लीग़ की जाती है, दूसरी तब्लीग़ तो की जाती है मगर दाअवत के तौर पर नहीं की जाती। हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने इस्लाम और ईमान के अहकाम की तब्लीग़ दाअवत के तौर पर फ़र्माइ है अहकामे एहसान की तब्लीग़ दाअवत के तौर पर नहीं फ़र्माइ बल्कि जिसमें जैसी सलाहियत और क़ाबिलियत (योग्यता) देखी उसको उन अहकाम की तालीम फ़र्मादी। यह बात भी साबित है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने पूरे क़ुरआन मजीद की तब्लीग़ और तालीम नहीं फ़र्माइ बल्कि जिन जिन चीज़ौं की वक़्त के तक़ाज़े के मुवाफ़िक़ ज़रूरत थी उनकी तालीम फ़र्माइ चुनांचे (१) मुक़त्तआते क़ुरआनिया *अलिफ़ लाम मीम, हा मीम ऐन सीन क़ाफ़, हामीम, अलिफ़ लामह, काफ़ ह या ऐन स्वाद* वग़ैरा के माने (अर्थ) की तालीम नहीं फ़र्माइ। (२) इसी तरह

सिफ़ाते इलाही में *समीअ* और *बसीर* के माने की तालीम नहीं फ़र्माइ जो सिफ़ाते हक़ीक़िया में दाख़िल हैं। (३) क़ुरआन मजीद में हर जगह क़ियामत का ज़िकर मौजूद है मगर हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने उसका बयान नहीं फ़र्माया। (४) इसी तरह नामए आमाल (कर्म पत्र), वज़्ने आमाल और मीज़ान वग़ैरा के सिलसिले में कोई क़तई तालीम नहीं फ़र्माइ। (५) मसअलए जब्र व क़द्र में जो आयात हैं उनके साफ़ और सरीह (स्पष्ट) माने की तालीम नहीं फ़र्माइ बल्कि सहाबा किराम रज़ी० को उस पर गुफ़्तगू से मना फ़र्मादिया। (६) उन आयाते क़ुरआनी की तशरीह नहीं फ़र्माइ जो वहदतुल् वुजूद को साबित करती हैं मसलन् *वफ़ी अन्फ़ुसिकुम् अफ़ला तुब्सिरुन* (५१:२१) *फ़ऐनमा तुवल्लू फ़सम्म वज्हुल्लाहि* (२:११५) *वमा रमैता इज़् रमैता वला किन्नल्लाह रमा* (८:१७) *यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम* (४८:१०)।

इन मिसालों से साबित हुवा कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने पूरे क़ुरआन मजीद की तब्लीग़ नहीं फ़र्माइ बल्कि मौक़ा और शुऊरे इन्सानी के लिहाज़ से इल्मुल इस्लाम और इल्मुल ईमान की तो मुकम्मल तालीम फ़र्मादी और इल्मुल् एहसान को सलाहीयत और क़ाबिलियत वाले असहाबे किराम रज़ी० को मख़्सूस तरीक़े पर बतलाया और तालीम फ़र्माइ लेकिन आम अफ़रादे इन्सानी को उसकी तालीम दाअवत के तौर पर नहीं फ़र्माइ। चूंकि अहकामे एहसान की तालीम भी निहायत ज़रुरी थी जिनका माख़ज़् (मूल) भी आयाते क़ुरआनी हैं बग़ैर उसकी तब्लीग़ और

तालीम के बयान तालीमे क़ुरआन मुकम्मल नहीं होसकता था इसी वज्ह से आँहज़रत सल्ला० ने अपनी उम्मत को इमाम महेदी मौऊद अले० की इत्तेबाअ का हुक्म दिया और बैअत फ़र्ज़ की ताकि तालीमाते ख़ुरआनी की तकमील हो और ख़त्मे दीन की हदीस का माना भी पूरा होजाये (तन्वीरुल हिदाया लेखक अल्लामा शम्सी रहे०)।

चुनांचे हज़रत सय्यद मुहम्मद महेदी मौऊद अले० ने अहकामे एहसान का बयान और दाअवत फ़र्माकर तब्लीग़ो तालीम फ़र्माइ।

हिस्सा सुव्वम
बिस्मिल्ला हिर रहमा निर्रहीम
पेशे लफ़्ज़

अइम्मए हदीस ने अहादीस को कइ अक़साम में तक़सीम किया है जिनमें सहीह भी हैं, हसन् भी हैं, ज़ईफ़ भी हैं और बाहम मुतआरिज़ यानि एक दूसरे के ख़िलाफ़ भी हैं।

सनद् के एतबार से अहादीस की दो क़िसमें हैं, एक मुतवातिर और दूसरी क़िसम अख़बारे अहाद है। हदीसे मुतवातिर यक़ीने क़तई (निश्चित विश्वास) का दर्जा रखती है और हदीसे अहाद ज़न् (अनुमान) का दर्जा रखती है। चूंकि हदीसे मुतवातिर से क़तई इल्म और यक़ीन हासिल होता है इस लिये उसका इन्कार कुफ़्र होता है। हदीसे अहाद चूंकि ज़न् का दर्जा रखती है इस लिये उसका इन्कार कुफ़्र नहीं होता है। जो चीज़ें हदीसे अहाद से साबित हैं उनके इन्कार से काफ़िर नहोने की वज्ह यह है कि उस हदीस के हुज़ूर सर्वरे कौनैन आँहज़रत सल्ला० से सादिर होने का यक़ीन हासिल नहीं होता, इस लिये हदीसे अहाद अगरचे कि सहीह हो लेकिन ज़न् और शक के सिवा किसी चीज़ का इज़ाफ़ा नहीं करती बल्कि ज़न्नी चीज़ को क़तई समझना कुफ़्र है क्योंकि वह अल्लाह तआला के ख़िलाफ़ गवाही देना है।

जो चीज़ हदीसे मुतवातिर से साबित हो उसका इन्कार इस लिये कुफ़्र है कि उसका सुदूर (जारी होना) हुज़ूर सर्वरे कौनैन् आँहज़रत सल्ला० से बग़ैर किसी शुब्ह के यक़ीनी होता है, क्योंकि रावीयौं (वर्णन करता) की कसरत की वजह से शक व गुमान ज़ायल हो जाता और यक़ीने क़तई हासिल होता है।

जब हक़ीक़त यह है तो जो चीज़ अहादीसे अहाद और ज़न्निया से साबित हो वह ज़ाहिर होने के बाद बेशुब्ह यक़ीन होजायेगी जैसे कि ''आफ़ताब का मग़रिब से तुलू होना'' अगरचे कि हदीसे अहाद ही से साबित है, जैसा कि इर्शादे रब्बुल इज़्ज़त *यौम याती बाअज़ु आयाति रब्बिक ला यन्फ़ऊ नफसन् ईमानुहा* (६:१५९) की तफ़सीर में बयान किया गया है कि ''लेकिन जब वह मग़रिब से तुलू होजायेगा और लोग उसको देखलेंगे तो गुमान ख़त्म होकर यक़ीन हासिल होजायेगा''।

पस मोमिन के दिल में इसकी गुंजाइश नहीं रहेगी कि उस हदीस के सादिर होने से मुतअल्लक़ इन्कार या शक करे।

उलमाए उसूल (नियम) का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला है कि जिस हदीस की तस्दीक़ और तहक़ीक़ ज़रुरी होती है वह एतक़ादात और ईमानियात से मुतअल्लक़ हुज्जत नहीं बन सकती इस लिये कि वह क़तईयत और यक़ीन के लिये मुफ़ीद (उपयोगी) नहीं है।

ज़हूरे इमाम महेदी मौऊद अले० की अलामात और बशारात में भी इनही दोनों क़िसम की अहादीस से बहस की जाती है। अहादीस की इन क़िसमौं के तहत ज़हूरे इमाम महेदी मौऊद अले० की अलामात की भी दो क़िसमें हैं। एक क़िसम क़तई (निश्चित) है और दूसरी ज़न्नी (काल्पनिक) है। ''इमाम महेदी मौऊद'' होने वाली ज़ात में अहादीसे मुतवातिरा के तहत अलामाते क़तईया का पाया जाना ज़रुरी है।

हज़रत इमामुना सय्यदुना सय्यद मुहम्मद महेदी मौऊद अले० (जोनपूरी) में अलामाते क़तईया पूरे पूरे मौजूद हैं और मिन्नो अन् (ठीक) सादिक़ आते हैं और अलामात अहादीसे मुतवातिरा से साबित है कि आप ही की ज़ात ''इमाम महेदी मौऊद'' बर्हक़ है। मगर बाज़ लोगौं का ख़याल

है कि ''इमाम महेदी मौऊद'' होने का दाअवा करने वाली ज़ात में अलामाते क़तईया और अलामाते ज़न्नीया दोनों का पाया जाना ज़रुरी है। इसी ख़याल के तहत अकसर लोग हज़रत इमामुना सय्यदुना महेदी मौऊद अले० (जोनपूरी) की ज़ाते पाक का इन्कार करते हैं और अब भी इमाम महेदी के ज़ुहूर (प्रकटन) का इन्तेज़ार कर रहे हैं।

मगर फ़िलहक़ीक़त यह ख़याल ख़त्अन सहीह नहीं है, क्योंकि अगर इस ख़याल को सहीह मान लिया जाये तो इज्तिमाए ज़िद्दैन लाज़िम आयेगा जो एक अम्रे मुहाल है। इन हालात में अलामाते ज़न्नीया जो अहादीसे अहाद से साबित होते हैं उनपर ग़ौर और उनकी तहक़ीक़ तलबे हक़ के लिये ज़रुरी है।

चुनांचे इस किताब में अहादीसे अहाद और मुतआरिज़ पर बहस की गयी है और उलमाए उसूल के फैसले के तहत साबित किया गया है कि अख़बारे अहाद चाहे सहीह क्यों नहों ज़न् और शक में इज़ाफ़ा कर सकती हैं और ज़न् मुफ़ीदे एतक़ाद नहीं होता। अब तालिबाने हक़ व सदाक़त का फ़र्ज़ है कि बनज़रे इन्साफ़ ग़ौर करें और हक़ व सदाक़त का रास्ता जिसको क़ुरआन हकीम ने सिराते मुस्तक़ीम फ़र्माया है इख़्तियार करके तालिबे हक़ व सदाक़त होने का सुबूत दें और हक़ को हासिल करें।

वमा अलैना इल्लल् बलाग़

१ रम्ज़ानुल मुबारक १३७६ हिज्री
२ एप्रेल १९५७

फ़क़ीर हक़ीर
मुहम्मद नेअमतुल्ला खाँ सूफ़ी
ग़फ़िफ़रलहू

सवाल १: इस्लामी फ़िरक़ौं की अकसरियत इस बात पर मुत्तफ़क् है कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० की बेअसत ज़रुरियाते दीन से है मगर इमाम महेदी मौऊद का दाअवा करने वाले में जब तक वह तमाम शरायत और अलामात मौजूद न हो वह इमाम महेदी मौऊद अले० कैसे होसकता है और उसकी तस्दीक़ कैसे ज़रुरी और फ़र्ज़ होसकती है?

जवाबः हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० की शराइत और अलामात की दो क़िसमें हैं

पहली क़िसम यह है कि उनका सुबूत अहादीसे मुतवातिरा से हुवा होगा।

दूसरी क़िसम यह है कि उनका सुबूत अहादीसे अहाद से हुवा होगा।

उलमाए मुहक़्क़िक़ीन का यह फ़ैसला है कि

पहली क़िसम का सुबूत जो अहादीसे मुतवातिरा के तहत इमाम महेदी होने का दाअवा करने वाले में पाया जाना ज़रुरी और वाजिब है।

दूसरी क़िसम चूंकि ज़न्नी है इस लिये उसका पाया जाना ज़रुरी नहीं है।

सवाल २: बाज़ लोगौं का ख़याल है कि अलामाते क़तईया और ज़न्नीया दोनों का पाया जाना ज़रुरी है वर्ना महेदियत का सुबूत न होगा। क्या यह ख़याल सहीह है?

जवाबः इमाम महेदी मौऊद अले० की अलामात में ग़ौर करने से मालूम होता है कि उनमें बाज़ अलामतें ऐसी भी हैं जो

एक दूसरे के बिलकुल ख़िलाफ़ और ज़िद (विपरीत) हैं, ऐसी सूरत में इज्तेमाए ज़िद्दैन लाज़िम आयेगा जो क़तई नामुम्किन है।

१) मिसाल के तौर पर ''बाज़ हदीसौं से मालूम होता है कि इमाम महेदी अले० मक्का में पैदा होंगे''

और बाज़ हदीसौं से ज़ाहिर होता है कि इमाम महेदी अले० मदीना में पैदा होंगे।

अब ग़ौर का मुक़ाम है कि एक हदीस दूसरी हदीस से बिल्कुल ख़िलाफ़ है क्योंकि जो ज़ात मक्का में पैदा होगी वह फिर मदीना में किस तरह पैदा होसकती है? या जो ज़ात मदीना में पैदा होगी फिर वह मक्का में किस तरह पैदा हो सकती है?

इस सूरत में इन दोनों हदीसौं में से एक यक़ीनी तौर पर ग़ैर मोतबर और बातिल होगी और एक सहीह और मोतबर (विश्वास पात्र) होगी।

२) इसी तरह एक हदीस से यह मालूम होता है कि इमाम महेदी अले० हज़रत इमाम हसन रज़ी० की औलाद से होंगे।

दूसरी हदीस से यह साबित होता है कि इमाम महेदी अले० हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से होंगे।

अब ग़ौर कीजिये कि एक ही ज़ात दो से यानि हज़रत इमाम हसन रज़ी० से भी और हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० से भी कैसे हो सकती है?

ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि उन हदीसौं में से कोइ एक

सहीह और कोई एक ग़ैर मोतबर होगी।

३) इसी तरह एक हदीस से यह मालूम होता है कि हज़रत इमाम महेदी अले० और हज़रत ईसा अले० दोनों एक ही ज़माने में होंगे और हज़रत ईसा अले० हज़रत महेदी अले० की या हज़रत महेदी अले० हज़रत ईसा अले० की (नमाज़ में) इक़्तिदा करेंगे।

दूसरी हदीस से यह साबित होता है कि हज़रत इमाम महेदी अले० हज़रत ईसा अले० से पहले वस्ते (मध्य) उम्मत में आयेंगे और हज़रत ईसा अले० आख़िर ज़माने में आयेंगे।

अब ग़ौर कीजिये कि एक हदीस दूसरी हदीस से क़तई ख़िलाफ़ और बिल्कुल ज़िद में है। ऐसी सूरत में ज़ाहिर है कि दोनों हदीसौं में एक सहीह और मोतबर होगी और दूसरी ग़ैर सहीह और ग़ैर मोतबर होगी।

इन मिसालौं से साबित हुआ कि हज़रत इमाम महेदी अले० की अलामात में जिस क़दर अहादीस पेश और बयान की जाती हैं उन सब से अव्वलन् यह बात साबित होती है कि हज़रत इमाम महेदी अले० का पैदा होना ज़रुरी है और चूंकि यही अम्र (विषय) दूसरे अहादीस से भी साबित होता है इस लिये हज़रत इमाम महेदी अले० का पैदा होना ख़बरे मुतवातिर होगा।

दूसरे सिफ़ात और अलामात जिनका मन्शा अख़बारे अहाद हैं ज़न्नी (काल्पनिक) होंगे इस लिये उनका पाया जाना ज़रूरी नहीं है, अलबत्ता उनमें जांच पड़ताल और तहक़ीक

ज़रूरी है ताकि अहादीस मुतवातिरुल माना के इन्कार से महफ़ूज़ होजायें।

सवाल ३: हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० हज़रत इमाम हसन रज़ी० की औलाद से होना सहीह है या हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से होना सहीह है?

जवाबः सुनन् अबू दाऊद में हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वज्हहु से यह रिवायत बयान की गयी है कि

''हज़रत अली रज़ी० ने हज़रत हसन रज़ी० की तरफ़ देखकर फ़र्माया कि मेरा यह लड़का सय्यद है, चुनांचे रसूलुल्लाह सल्ला० ने उसका यही नाम रखा है। उस से एक शख़्स पैदा होगा जो तुम्हारे नबी का हमनाम होगा और नबी से ख़ुल्क़ में मुशाबा (समान) होगा और हमशकल नहोगा, ज़मीन को अदल से भरदेगा''।

इस हदीस के नज़र करते बाज़ लोगौं का ख़याल है कि हज़रत इमाम महेदी अले० हज़रत हसन रज़ी० की औलाद से होंगे।

वाज़ेह हो कि यह हदीस जो सुनन् अबू दाऊद में रिवायत की गयी है वह हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की हदीस नहीं है बल्कि हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वज्हहु का क़ौल बयान किया गया है जिसको हदीसे हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० तसव्वुर करलिया गया है।

इस क़ौल के मुक़ाबिल हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की हदीस शरीफ़ इस तरह रिवायत की जाती है।

१) हज़रत इब्ने उमर रज़ी० सहाबी से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि

''हुसेन की औलाद से एक शख़्स मश्रिक़ की तरफ़ से ज़ाहिर होगा अगर पहाड़ उसके सामने आयेंगे तो उनको गिरादेगा और उनमें रास्ते पैदा करेगा - (आख़िर तक)''। इस हदीस को हाफिज़ अबुल क़ासिम ने अपनी मुसनद मोजम में, हाफ़िज़ अबू नुएम असफ़हानी और हाफ़िज़ अबू अब्दुल्लाह नईम बिन हम्माद ने जो इमाम बुख़ारी के शुयूख़ से हैं किताबुल फ़ितन में बयान किया है।

२) हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी० सहाबी से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि -

''अगर दुनिया का एक दिन भी बाक़ी रहा तो उस दिन में अल्लाह तआला एक शख़्स को पैदा करेगा जो मेरा हमनाम और हम ख़ुल्क़ होगा, उसकी कुनियत अबू अब्दुल्लाह होगी। रुकन और मक़ाम के दरमियान् लोग उस से बैअत करेंगे। अल्लाह तआला उसकी वजह से पहली हालत की तरफ़ दीन को पलटा देगा। उसके लिये फ़ुतूह भी होगी। ज़मीन पर ऐसे लोगौं से नहीं मिलेगा जो *ला इलाह इल्लल्लाह* न कहते हों। सुलेमान ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्ला० यह शख़्स आपके कौनसे फ़र्ज़न्द की औलाद से होगा तो फ़र्माया कि मेरे इस फ़र्ज़न्द की औलाद से कहकर हुसेन रज़ी० को अपने हाथ से मार कर इशारा फ़र्माया''।

हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वज्हहु की रिवायत जो सुनन् अबू दाऊद में बयान की गयी है उस से ज़ाहिर होता है कि

इमाम महेदी अले० हज़रत हसन रज़ी० की औलाद से हैं। हज़रत इब्ने उमर रज़ी० और हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी०, दो सहाबा की रिवायत जो रसूलुल्लाह सल्ला० से बयान की जारही है उस से साबित होता है कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से हैं। क़ाबिले यक़ीन हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० की हदीस होगी जो दो सहाबा रज़ी० से रिवायत की जारही है, जिसको कई अइम्मए हदीस ने क़ुबूल किया है और अपनी मसानीद में सनद के साथ बयान किया है।

लिहाज़ा यक़ीनी अम्र यही है कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से हैं। इसके अलावा उन तीनों रिवायतौं का क़दरे मुश्तरिक (सम्मिलित उद्देश्य) यही है कि हज़रत इमाम महेदी अले० हज़रत फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० की औलाद से हैं।

इस सूरत में यह नतीजा निकलता है कि हज़रत महेदी अले० का फ़ातिमी उन्नसल होना अम्रे क़तई (निश्चित विषय) है। इसी लिये उलमाए उसूल ने यह तसलीम किया है कि ''हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० का फ़ातिमीउन् नसल होना ज़रूरी है''

चुनांचे अल्लामा साअदुद्दीन तफ़्ताज़ानी ने अपनी किताब *शर्ह मक़ासिद* में इस की तसरीह की है कि

''उलमा का यह मज़्हब है कि महेदी इमामे आदिल और फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से है, उनके ज़ुहूर का ज़माना

मुएयन नहीं है, अल्लाह तआला जब चाहेगा उनको पैदा करेगा और नुसरते दीन के लिये उनको मबऊस फ़र्मायेगा''।
उलमाए उसूल के इस फ़ैसले से चार बातें साबित होती हैं।

१) उलमाए हदीस और उसूल ने इस बात पर इत्तेफ़ाक किया (सहमत) है कि इमाम महेदी अले० हज़रत फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी अल्लाहु अन्हा की औलाद से हैं।

२) हज़रत इमाम महेदी अले० इमाम आदिल हैं।

३) आपके ज़ुहूर (प्रकटन) का ज़माना मुक़र्रर नहीं है बल्कि अल्लाह तआला जब चाहेगा आप को पैदा फ़र्मायेगा।

४) आपकी बेअसत नुसरते दीन के लिये होगी।

चुनांचे हदीसे सहीह के मुताबिक़

१) हज़रत इमामुना सय्यदुना महेदी मौऊद अले० (जोनपूरी) हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के हमनाम हैं।

२) आप औलादे हज़रत फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० से और हज़रत इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से हैं।

३) यह मुसल्लमा (प्रमाणित) हक़ीक़त है कि आप रसूलुल्लाह सल्ला० के हम ख़ुल्क़ और हम शक्ल (अनुरुप) हैं।

४) हदीसे सहीह के मुताबिक़ आप अले० की पैदाइश का मुक़ाम अरब के मश्रिक़ में हिंदुस्तान है।

५) आप अले० की पैदाइश के ज़माने में दीन में किस क़दर अबतरी फैली हुवी थी तारीख़ के जान्ने वाले लोग ख़ूब जानते हैं, जिसकी मुख़्तसर कैफ़ियत और

हालत हम ने किताब *''हमारा मज़्हब''* हिस्सा अव्वल में दर्ज करदी है।

ग़र्ज ज़माना ज़बाने हाल से पुकार रहा था कि या अल्लाह किसी हादीए बर्हक़ को भेजदे और उम्मते मुहम्मदी सल्ला० की कश्ती (नाव) को डूबने से बचाले।

चुनांचे अल्लाह तआला ने अपने वादे और मशीयत और हदीस के मन्शा के तहत आप अले० को नुसरते दीन के लिये वस्ते उम्मत में पैदा फ़र्माया।

६) आप अले० ने हदीस के मन्शा (उद्देश्य) के मुताबिक़ दीन को उसकी पहली हालत की तरफ़ पलटाया और उम्मते मुहम्मदी सल्ला० को हक़ीक़ी दीने इस्लाम की तरफ़ बुला कर सिराते मुस्तक़ीम दिखाइ और हलाकत से बचा लिया।

सवाल ४: हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी० से जो हदीस रिवायत की गयी है उसमें हज़रत इमाम महेदी अले० की कुनियत 'अबू अब्दुल्लाह' बयान की गयी है और हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० (जोनपूरी) की कुनियत 'अबुल क़ासिम' है, फिर मुताबक़त (अनुकूलता) कैसे होसकती है?

जवाब: हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी० की रिवायत में 'अबू अब्दुल्लाह' कुनियत बयान की गयी है मगर हज़रत इब्ने उमर रज़ी० की रिवायत उसके ख़िलाफ़ है। चुनांच उसके अलफ़ाज़ यह हैं-

''हज़रत इब्ने उमर रज़ी० से रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि क़ियामत उस वक़्त तक

क़ायम न होगी जब तक कि एक शख़्स मेरी औलाद से न निकले जो मेरा हमनाम होगा और मेरा हमकुनियत होगा (आख़िर तक)''

अब ग़ौर कीजिये की हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी० की रिवायत से ज़ाहिर होता हौ कि हज़रत इमाम महेदी अले० की कुनियत 'अबू अब्दुल्लाह' होगी, और हज़रत इब्ने उमर रज़ी० की रिवायत से साबित होता है कि हज़रत इमाम महेदी अले० की कुनियत 'अबुल क़ासिम' होगी।

चूंकि यह दोनों ख़बरें अहाद हैं इस लिये ज़न्नी हैं। इन दोनों में से वही रिवायत क़तई होगी जिसका वुक़ूअ (घटित) हो। पस हज़रत इब्ने उमर रज़ी० की रिवायत इस लिये क़तई है कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के हमकुनियत हैं क्योंकि रिवायत के मुताबिक़ वुक़ूअ हुवा है और हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० जोनपूरी की कुनियत 'अबुल क़ासिम' है।

ख़ुलासा यह कि अहादीसे सहीहा के मुताबिक़ हज़रत इमामुना सय्यदुना महेदी अले० जोनपूरी हज़रत फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० की औलाद से हैं। आप का नाम 'मुहम्मद' है, आप की कुनियत 'अबुल क़ासिम' है और आप अख़लाक़, सिफ़ात और शक्लो सूरत में अहादीसे सहीहा के मुताबिक़ हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० से मुशाब। (समान) हैं और आप ही की ज़ात 'इमाम महेदी मौऊद' बर्हक़ है।

सवाल ५: क्या यह हदीस सहीह है कि हज़रत इमाम महेदी अले० और हज़रत ईसा अले० एक ही ज़माने में होंगे, क़ुस्तुन्तुन्या

फ़त्ह करेंगे और दज्जाल को क़त्ल करने में हज़रत ईसा अले० की मदद् करेंगे?

जवाबः ग़ौर का मुक़ाम है कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० और हज़रत ईसा अले० दोनों अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा और मुस्तक़िल इमाम हैं। उन दोनों का एक ज़माने में जमा होना नक़लन और अक़्लन सहीह और जायज़ नहीं होसकता, क्योंकि जब दोनों मुस्तक़िल अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा हैं तो वह लाज़िमी तौर पर लोगों की बैअत मुस्तक़िल तौर पर लेंगे और दो ख़लीफ़ौं का एक वक़्त में बैअत लेना मम्नूअ है। इस ख़ुसूस में हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० का साफ़ हुक्म मौजूद है कि ''जब दो खलीफ़े बैअत लें तो उनमें से एक को क़त्ल करदो''।

चुनांचे हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के इस हुक्म पर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० की ख़िलाफ़त के वक़्त अमल भी हुवा, यानि हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० जब ख़लीफ़ा बनादिये गये तो साद बिन इबादा रज़ी० ने अन्सार में अपने ख़लीफा होने का दाअवा किया तो वह क़त्ल करदिये गये। इसके अलावा अल्लामा नुववी ने साफ़ लिखा है कि ''सलफ़ (पूर्वज) ने दो ख़लीफ़ौं के जमा न होने पर इज्माअ किया है कि दोनों (यानि हज़रत इमाम महेदी अले० और हज़रत ईसा अले०) एक ज़माने में जमा नहीं होंगे''।

लिहाज़ा साबित हुवा कि हज़रत इमाम महेदी अले० और हज़रत ईसा अले० का एक ज़माने में जमा होना हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के हुक्म के ख़िलाफ़ और इज्माए

सलफ़ के ख़िलाफ़ है, इस लिये हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० और हज़रत ईसा अले० का एक ही ज़माने में होना नक़लन और अक़्लन सहीह नहीं हो सकता।

इसके अलावा अल्लामा साअदुद्दीन तफ़्ताज़ानी ने *शर्ह मक़ासिद* में हज़रत इमाम महेदी अले० और हज़रत ईसा अले० के एक ज़माने में न होने और एक दूसरे की इक़्तिदा न करने के बारे में साफ़ तौर पर यह वज़ाहत करदी है कि-

''ईसा अले० और इमाम महेदी अले० के एक दूसरे का इमाम या मुक़्तदी बन्ने के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह बेअसल बात है उस पर कोई एतमाद नहीं किया जाना चाहिये यह बेसनद बात है''।

हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० का अमीर या सुलतान होना और क़ुस्तुन्तुन्या फ़त्ह करना अहादीसे सहीहा से साबित नहीं है, बल्कि यह साबित होता है कि क़ुस्तुनतुन्या पर जिसकी फ़ौज जायेगी और उसे फ़तेह करेगी उसका अमीर और वह फ़ौज बनी इसहाक़ से होगी।

चुनांचे सहीह मुस्लिम में यह रिवायत साफ़ मौजूद है ''बनी इसहाक़ से एक गुरोह मदीना क़ुस्तुनतुन्या पर तकबीरों के साथ जहाद करेगा और मदीना क़ुस्तुनतुन्या को फ़त्ह करेगा और माले ग़नीमत की तक़सीम के वक़्त एक शोर उठेगा कि दज्जाल निकला तो यह गुरोह ग़नीमत की तक़सीम छोड़देगा और दज्जाल के मुक़ाबले के लिये रवाना होगा''।

सहीह मुस्लिम की इस रिवायत में हज़रत इमाम महेदी अले० का ज़िकर तक नहीं है बल्कि यह बताया गया है कि

जो लश्कर क़ुस्तुनतुन्या के शहर को फ़त्ह करेगा वह औलादे इसहाक़ से होगा और अहादीसे मुतवातिरा से साबित है कि इमाम महेदी मौऊद अले० औलादे फ़ातिमतुज़् ज़हरा रज़ी० से फ़ातिमीउन् नसल हैं (यानि इसमाईल अले० की औलाद से हैं)। लिहाज़ा यह कहना सहीह नहोगा कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० अमीर और सुलतान होंगे, फ़ुतूहात करेंगे वग़ैरा बल्कि हक़ीक़त यह है कि हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० की अमीरी और सलतनत रुहानी है।

यह ख़याल कि हज़रत इमाम महेदी अले० हक़ीक़त में एक अमीर और सुल्तान होंगे, लश्कर कशी करेंगे, फ़ुतूहात करेंगे, माले ग़नीमत और दुनियवी माल और ख़ज़ाने तक़सीम करेंगे सरासर ग़लत और बातिल है, जिसका सुबूत वह सहीह अहादीस हैं जिनमें हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० के औसाफ़ बयान किये गये हैं, चुनांचे ज़ेल में चंद दर्ज किये जाते हैं।

१) हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० अल्लाह तआला के ख़लीफ़ा हैं।

यह हदीस हज़रत सोबान रज़ी० के हवाले से इब्ने माजा ने बयान की है। पस जो अल्लाह का ख़लीफ़ा होगा उसके लिये ज़रुरी नहीं है कि वह बादशाह भी हो।

२) हज़रत इमाम महेदी अले० दाफ़ेअ हलाकते उममते मुहम्मद सल्ला० हैं। यह हदीस मिश्कात शरीफ़ और मुस्नद इमाम अहमद हम्बल में हज़रत अब्दुल्लाह

इब्ने अब्बास रज़ी० के हवाले से रिवायत की गयी है।

पस जो दाफ़ेअ हलाकत व गुमराही हो उसके लिये ज़रुरी नहीं है कि वह बादशाह भी हो, क्योंकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० दाफ़ेअ (रोकने या हटाने वाले) हलाकत व गुमराही हैं मगर आप बादशाह नहीं हैं।

३) हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० ख़ातिमे दीने रसूलुल्लाह सल्ला० हैं।

यह हदीस अबू नुएम, नईम बिन हम्माद और अबुल क़सिम तब्री तीन अइम्मए हदीस ने हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वज्हहु के हवाले से बयान की है।

पस ख़ातिमे दीन के लिये ज़रुरी नहीं है कि वह बादशाह भी हो क्योंकि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के दीन (इस्लाम) की इब्तदा भी हुकूमत और सल्तनत के वग़ैर हुइ है उसी तरह उसका इख़्तिताम (पूर्ति) भी बग़ैर हुकूमत व सल्तनत के होना चाहिये क्योंकि एक नये दीन की इब्तदा जिस तरह मुश्किल और दुश्वार होगी उसका इख़्तिताम इस तरह मुश्किल और दुश्वार (कठिन) नहीं हो सकता। जब उस नये दीन इस्लाम की इब्तदा बग़ैर शौकत हश्मत (वैभव) और बग़ैर हुकूमत व सलतन्त हुवी है उसके इख़्तिताम के लिये उन चीजौं की ज़रूरत नहीं।

४) हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० साहबे दाअवत हैं।

यह हदीस जिस से आपका साहबे दाअवत होना साबित होता है सुनन् इब्ने माजा में हज़रत सोबान

रज़ी० के हवाले से बयान की गयी है, उसके अलावा हाकिम और अबू नुएम ने भी रिवायत की है।

पस साहबे दाअवत के लिये यह लाज़िमी नहीं है कि वह साहबे शौकत हाकिम और बादशाह हो।

चुनांचे हज़रत नूह अले०, हज़रत इब्राहीम अले०, हज़रत मूसा अले०, हज़रत ईसा अले० और दीगर अम्बिया अले० और आख़िर मे सर्वरे कौनैन ख़ातिमुल अम्बिया हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० तमाम साहबे दाअवत हैं मगर साहबे शौकत और साहबे हुकूमत व सल्तनत नहीं हैं। सिर्फ़ अल्लाह तआला की मदद उनके लिये काफ़ी थी और दाअवत के वक़्त अल्लाह तआला ही की मदद पर उनको भरोसा रहता था। अपने अम्बिया और ख़ुलफ़ा की इमदाद का वादा ख़ुद अल्लाह तआला ने क़ुरआन हकीम में इन अलफ़ाज़ में फ़र्माया है कि *''इन्सानों से तुम्हरी हिफ़ाज़त हमारे ज़िम्मे है''*1

उसी तरह हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० जो 'ख़लीफ़तुल्लाह' हैं की दाअवत का हामी और मददगार ख़ुद अल्लाह तआला है। ज़ाहिरी शौकत व हश्मत और हुकुमत व सल्तनत की हरगिज़ ज़रूरत नहीं।

इन तमाम दलीलों के अलावा हज़रत इमाम महेदी अले० और हज़रत ईसा अले० एक ज़माने में होने की तरदीद (खडंन) हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के मुस्तनद (प्रमाणित) फ़र्मान से हो जाती है।

चुनांचे हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० का साफ़ और सरीह फ़र्मान है कि -

''मेरी उम्मत क्योंकर हलाक होगी जब कि मैं उसके अव्वल में हूँ और ईसा (इब्ने मर्यम) अले० उसके आख़िर में हैं और महेदी मेरी अहले बैत से उसके दरमियान में है''।

यह हदीस निहायत सनद के साथ मिश्कात शरीफ़ (जिल्द-२, सफ़हा २९१, हदीस न. ६०२५/५) में और मुसनद इमाम अहमद हम्बल रहे० में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी० सहाबी की रिवायत से और किताब *कंज़ुल उम्माल* में हज़रत अली कर्रमुल्लाहु वज्हहु के हवाले से बयान की गयी है।

अब ग़ौर कीजिये कि इस मुस्तनद और सहीह हदीस शरीफ़ के मुक़ाबिल में ''इमाम महेदी अले० और हज़रत ईसा अले० एक ज़माने में होंगे'' की हदीस कैसे मोतबर और सहीह हो सकती है। यह सरासर ग़ैर मोतबर और बातिल है।

सवाल ६: हदीस ''हज़रत इमाम महेदी अले० सारी ज़मीन को अदल और इन्साफ़ से भरदेंगे'' और सारी दुनिया के इन्सान मुसलमान और मोमिन हो जायेंगे हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० जोनपूरी पर पूरी नहीं उतरती, इसकी निसबत क्या जवाब है?

जवाब: हदीस ''ज़मीन को अदल और इन्साफ़ से भरदेंगे'' का यह मत्लब नहीं है कि सारी ज़मीन को अदलो इन्साफ़ से

भर दिया जायेगा और हज़रत इमाम महेदी अले० पर सारी दुनिया के इन्सान ईमान लायेंगे और मुसलमान और मोमिन होजायेंगे। अगर ऐसा होजाये तो हज़रत इमाम महेदी अले० का दर्जा और मर्तबा हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० से बढ़ जायेगा क्योंकि हज़रत इमाम महेदी अले० के ज़माने में सारी दुनिया के इन्सान मुसलमान और मोमिन हो जायें और हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० के ज़माने में पूरा अरब तो कुजा आपका पूरा ख़ानदान मुसलमान और मोमिन न हुवा। बलिहाज़े शरीअत ज़ाहिर ना मुम्किन है कि हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० से हज़रत इमाम महेदी अले० का दर्जा और मर्तबा बढ़ जाये। लिहाज़ा साबित हुवा कि हदीस शरीफ़ का यह मत्लब नहीं होसकता जो आम तौर पर लिया जा रहा है।

इसके अलावा हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह रज़ी० से सहीह मुस्लिम में रिवायत है कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि ''मेरी उम्मत का एक गुरोह हमेशा हक़ के बारे में क़िताल करता रहेगा और क़ियामत के दिन तक ग़ालिब रहेगा''।

इस हदीस शरीफ़ से तीन बातें साबित होरही हैं। एक यह कि एक गुरोह का हक़ के लिये क़िताल करना इस बात की खुली दलील है कि दूसरा गुरोह ज़ुल्मो जोर और बातिल पर है। दूसरी यह कि हक़ के मुक़ाबिल जंग और क़िताल करने से बढ़कर ज़ुल्मो जोर और क्या होसकता है। तीसरी यह कि हक़ और बातिल की जंग और क़िताल क़ियामत तक जारी रहेगा।

हुज़ूरे अकरम हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के इस साफ़ इर्शाद के बावजूद हदीस ''ज़मीन को अदल और इन्साफ़ से भरदेगा'' से सारी ज़मीन के अदल और इन्साफ़ से भरजाने के माने लेना और समझना कि ज़ुल्मो जोर बाक़ी नहीं रहेगा सरासर ग़लत और बातिल है।

हज़रत जाबिर रज़ी० की रिवायत की ताईद (समर्थन) क़ुरआने हकीम से भी होरही है। चुनांचे अलाह तआला का इर्शाद है कि *''हमने उनके दरमियान क़ियामत तक के लिये बुग़्ज़ और अदावत (शत्रुता) डाल दी है* (अल माइदा-६४)।

इस आयते शरीफ़ा से साबित है कि उनके दरमियान क़ियामत तक के लिये बुग़्ज़ो अदावत रहेगी। जब क़ियामत तक बुग़्ज़ो अदावत रहेगी तो ज़ाहिर है कि अदल और इन्साफ़ की सिफ़त उनमें पैदा ही नहीं हो सकती क्योंकि अल्लाह की तरफ़ से बुग़्ज़ो अदावत डाल दी गयी है। जब अल्लाह की तरफ़ से बुग़्ज़ो अदावत डाल दी गयी है तो फिर कौन मशीयते इलाही के ख़िलाफ़ उनमें अदल और इन्साफ़ की सिफ़त पैदा कर सकता है?

अल्लाह तआला के साफ़ इर्शाद और मशीयत (ख़ुदा की मर्ज़ी) के बावजूद हदीस शरीफ़ का यह मत्लब लेना कि सारी ज़मीन अदल और इन्साफ़ से भर जायेगी कहाँ तक सहीह होसकता है ग़ौर का मुक़ाम है।

लिहाज़ा साबित हुवा कि हदीस ''ज़मीन को अदलो इन्साफ़ से भरदेगा'' से यह माने (अर्थ) लेना कि हज़रत इमाम महेदी अले० के ज़माने में सारी ज़मीन क़िस्तो अदल से

भरजायेगी और किसी क़िसम का ज़ुल्मो जोर बाक़ी नहीं रहेगा सरासर ग़लत और बातिल है।

अगर हज़रत इमाम महेदी अले० के ज़माने में सारी ज़मीन में अदलो इन्साफ़ फैल जायेगा तो उसके यह माने होंगे कि सारी दुनिया के इन्सान एक ही उम्मत हो जायेंग, मगर ऐसा होना रब्बुल इज़्ज़त के मन्शा (इच्छा) के सरासर ख़िलाफ़ है, क्यों कि अल्लाह तआला तो क़ुरआने हकीम में अपने मन्शा और इरादे की निसबत इस तरह इर्शाद फ़र्माता है कि -

''(ऐ मुहम्मद सल्ला०) अगर तुम्हारा रब चाहता तो तमाम इन्सानौं को एक उम्मत बनादेता लेकिन वह लोग हमेशा एक दूसरे से इख़्तिलाफ़ करते रहेंगे। सिवाय उनके जिन पर तुम्हारा रब रहम फ़र्माये और तुम्हारे रब ने तो उन्हें इसी वास्ते पैदा किया है (हूद ११८-११९)

इस आयते करीमा से तीन बातें साबित होरही हैं।

१) अल्लाह तआल सारी दुनिय के इन्सानौं को एक उम्मत बनाना नहीं चाहता।

२) वह लोग हमेशा एक दूसरे से इख़्तिलाफ़ करते रहेंगे।

३) वही लोग मोमिन रहेंगे जिनपर अल्लाह तआला रहम (दया) फ़र्माये और जिनको अल्लाह तआला ने उसी वास्ते पैदा किया है।

ग़ौर का मुक़ाम है कि अल्लाह तआला सारी दुनिया के इन्सानौं को एक उम्मत बनाना नहीं चाहता बल्कि मुख़तलिफ़

पैदा किया और मुख़तलिफ़ रखना चाहता है तो फिर अल्लाह तआला के मन्शा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हज़रत इमाम महेदी मौऊद अले० किस तरह सारी दुनिया के इन्सानौं को मुसलमान और मोमिन और एक उम्मत बनादेंगे।

''उनमें हमेशा इख़तिलाफ़ रहेगा'' की सराहत से यह बात भी साबित होजाती है कि अहले हक़ और अहले ज़ुल्मो बातिल के इख़तिलाफ़ से कोई ज़माना भी ख़ाली नहीं रहेगा। ऐसी सूरत में हज़रत इमाम महेदी अले० के ज़माने में हर क़िसम के ज़ुल्मो जोर का दुनिया से उठ जाना और अदलो इन्साफ़ फैल जाना कैसे मुम्किन हो सकता है, और हदीस शरीफ़ से ऐसे माना (अर्थ) लेना कहाँ तक सहीह और दुरूस्त होसकता है।

इसके अलावा क़ुरआने हकीम ने मशीयते ख़ुदावंदी का मज़ीद यह इज़्हार फ़र्माया कि -

''अगर तुम्हारा पर्वरदिगार चाहता तो सारी ज़मीन के तमाम इन्सान मोमिन होजाते'' (यूनुस ९९)

दोनों आयाते क़ुरआनी से साबित हो रहा है कि अल्लाह तआला ख़ुद सारी ज़मीन के तमाम इन्सानौं को एक उम्मत और मोमिन बनाना नहीं चाहता। फिर अल्लाह तआला के मन्शा और मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हज़रत इमाम महेदी अले० किस तरह सारी ज़मीन पर अदलो इन्साफ़ फैला देंगे और दुनिया के तमाम इन्सानौं को मुसलमान और मोमिन और एक उम्मत बनादेंगे ग़ौर कीजिये और इन्साफ़ कीजिये। लिहाज़ा साबित हुवा कि हदीस ''ज़मीन को अदलो इन्साफ़

से भरदेंगे'' का यह मत्लब हर्गिज़ नहीं है जो आम तौर पर लोगौं ने समझ लिया है।

हदीस शरीफ़ में ''अदलो इन्साफ़ से ज़मीन के भरजाने'' का ज़िकर बतौर तश्बीह (उपमा) है। उसकी मिसाल ऐसी है जो अल्लामा साअदुद्दीन तफ़्ताज़ानी ने *शर्ह अक़ायद* में हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० का वस्फ़ (ख़ूबी) बयान करते हुवे लिखा है कि

''आँहज़रत सल्ला० ने बुहत से लोगौं को फ़ज़ाइले इल्मिया और अमलिया में कामिल बना दिया और ईमान और अमले सालेह से आलम को मुनव्वर फ़र्मा दिया''।

''आलम (जगत) को मुनव्वर (प्रकाशमान्) फ़र्मादिया'' के अलफ़ाज़ पर ग़ौर कीजिये कि यह अलफ़ाज़ बिल्कुल आँहज़रत सल्ला० के इर्शाद ''रुये ज़मीन को अदलो इन्साफ़ से भरदेगा'' की तरह हैं।

''आलम को मुनव्वर फ़र्मादिया'' से तमाम दुनिया को मुनव्वर करदेना मुराद नहीं है बल्कि दुनिया के बाज़ हिस्से ही मुराद हो सकता है जहाँ हुज़ूरे अक्रम सल्ला० के इर्शाद और हिदायत का फ़ैज़ पहुंचा है। अगर यह हिसाब लगाया जाये कि हुज़ूर सर्वरे कौनैन् सल्ला० ने कितनी दुनिया को नूरे हिदायत से मुनव्वर फ़र्माया था तो उस वक़्त के कड़ोड़वें दर्जे को भी नहीं पहुंचता।

पस ऐसे अलफ़ाज़ से उसके हक़ीक़ी माने नहीं लिये जासकते बल्कि मजाज़ी (अवास्तविक) माने मुराद होंगे।

एक मिसाल पर ग़ौर कीजिये कि अगर कहा जाये कि ''बाज़ार गेहूँ से भर गया'' तो उसका यह मत्लब नहीं होता कि बाज़ार भर में गेहूँ ही गेहूँ भरे पड़े हैं और कोइ जगह भी ऐसी नहीं है जहाँ गेहूँ मौजूद न हों।

पस इसी तरह हदीस *यम्लउल् अर्ज़* (ज़मीन को अदलो इन्साफ़ से भरदेगा) से भी इस क़िसम के माने मुराद नहीं लिये जासकते बल्कि मजाज़ी माने मुराद हैं यानि ज़मीन के किसी हिस्से में अदलो इन्साफ़ का पाया जाना और ज़ाहिर होजाना मुराद है।

हमारी इस मिसाल की ताईद *तफ़सीरे मदारिक* से भी होती है जो क़ुरआने हकीम की आयते करीमा *व जअलल् क़मर फ़ीहिन्न नूरन्* (और ख़ुदा ने क़मर को आसमानौं का नूर बनाया) (नूह-१६) के तहत बयान किया गया है, वह यह है-

आयते मज़्कूर में *फ़ीहिन्न* से मुराद समावात हैं यानि सारे आसमान। हालाँकि क़मर (चांद) सिर्फ़ आसमाने दुनिया में है और यह इस लिये कि आसमनौं में तह ब तह होने के लिहाज़ से एक क़िसम की मुशाबहत है जिसकी वज्ह से क़मर के तमाम आसमानौं में नहोने के बावजूद तमाम आसमानौं में कहना जाइज़ हुवा।

इस तफ़सील का नतीजा यह है कि ज़ुल्मो जोर के ख़िलाफ़ क़िस्तो अदल का अहले ज़मीन के दिलौं में भरदेना है, यानि बुरी आदात और बुरी ख़स्लतौं को नेक अख़लाक़ और आला किरदार से बदल देना है।

चुनांचे हज़रत इमामुना सय्यदुना महेदी मौऊद अले० जोनपूरी के इर्शाद और हिदायत और फ़ैज़ाने सुहबत ने बुज़्दिल (कायर) को जवाँमर्द (उत्साही), जाहिल (अशिक्षित) को आलिम (विव्दन), फ़ासिक़ (पापी) को आबिद (इबादत करने वाला), बख़ील (कंजूस) को सख़ी (दानवीर) और दुनियादार को अल्लाह का तालिब बना दिया है।

हक़ीक़त में अहले ज़मीन वही लोग हैं जिनके दिलौं में हक़ की तलब हो। जिन लोगौं को हक़ की तलब थी वह हज़रत इमामुना सय्यदुना महेदी मौऊद अले० (जोनपूरी) की तस्दीक़ से मुशर्रफ़ हुवे और ईमान लाये, जिनकी शान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इर्शाद है कि *हुदल् लिलमुत्तक़ीनल् लज़ीन यूमिनून बिल ग़ैबि* यानि ''मुत्तक़ी और ग़ैब पर ईमान लाने वाले लोगौं के लिये हिदायत है'' और जो इस सिफ़त से मौसूफ़ नहीं थे वह अलामतौ की बहसौं में उलझ कर रह गये।

हक़ तो यही है कि अलामात दर असल इशारात ख़ुफ़िया (गुप्त संकेत) हैं, उनके हक़ीक़ी माने हर्गिज़ मुराद नहीं हैं। इसी ग़लती की वज्ह से यहूद ने हज़रत ईसा अले० का इन्कार किया और ईसाइयौं और यहूदियौं ने हुज़ूर सर्वरे कौनैन हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० का इन्कार किया और अभी तक ख़ातिमुन् नबीईन पैग़म्बर आख़िरुज़् ज़माँ के आने के मुन्तज़िर हैं, हालांकि अब कोइ पैग़म्बर आने वाला नहीं है। इसी तरह बाज़ लोग हज़रत इमाम

महेदी मौऊद आख़िरुज़् ज़माँ अले० का इन्तेज़ार कर रहे हैं, हालांकि अब कोई इमाम महेदी आख़िरुज़् ज़माँ आने वाले नहीं है, बल्कि जिस तरह तोरेत और इन्जील की बशारात के बमूजिब ख़ातिमुल् अम्बिया अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० तश्रीफ़ लाचुके उसी तरह वादए रब्बानी और अहादीसे सहीहा के बमूजिब हज़रत इमाम महेदी मौऊद इमामे आख़िरुज़् ज़माँ तश्रीफ़ लाचुके।

आमन्नाव सद्दक़्ना